बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: आदेश ::

आ0सं0–15/बि.स.से.–04–01/2010 सा.प्र.........................../पटना–15, दिनांक   जून, 2010

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम–3, 2008) दिनांक–04.01.2008 के प्रभाव से प्रवृत्त है। इस अधिनियम की धारा–12 (1) में सचिवालय सेवा के सहायकों की सेवा सम्पुष्टि का प्रावधान किया गया है कि " **परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ–साथ संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और टंकण यंत्र पर टंकण एवं कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जा सकेगा ।** "

उपर्युक्त प्रावधान के कारण दिनांक–04.1.2008 के पूर्व नियुक्त उन सहायकों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व पुरानी नियमावली के आलोक में सम्पुष्टि की अर्हता तो पूर्ण करते थे, परन्तु किसी कारणवश उनकी सम्पुष्टि नहीं हो पायी है। इस अधिनियम की धारा–12 (3) के अन्तर्गत कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा राजस्व पर्षद् द्वारा करायी जानी है, किन्तु इसका आयोजन अब तक नहीं हो सका है।

2. उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार अधिनियम 03, 2008 की धारा–22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 04.01.2008 के पूर्व नियुक्त सहायक जो पुरानी नियमावली के अधीन सम्पुष्टि की अर्हता रखते थे, की सेवा सम्पुष्टि के मामले में इस अधिनियम की धारा–12 (1) को शिथिल किया जाता है।

3. यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–04–01/2010 सा.प्र. ....2151..../पटना–15, दिनांक 2 जून, 2010

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/6/10

सरकार के उप सचिव।